




# बिहार पशु चिकित्सा संघ

कार्यालय – विद्यापति मार्ग, पटना-800001



डॉ० राय चन्द्र पासवान  
अध्यक्ष  
मो० 9471867310

Email- bvapatna@gmail.com

डॉ० विनोद कुमार मुक्ता  
प्रधान महासचिव  
मो० 7488601083

पत्रांक- ..... 87 .....

दिनांक- 01.10.2020

## महासचिव

डॉ० दिलीप कुमार  
मो० 9801881887

## उपाध्यक्ष

डॉ० शोभा कुमारी  
मो० 7858012676

डॉ० जितेन्द्र कुमार भोला  
मो० 6203955586

डॉ० सुधांशु कुमार  
मो० 9939365429

डॉ० अंजनी कु० सिन्हा  
मो० 9334164261

## संगठन सचिव

डॉ० अनिल कुमार निर्झर  
मो० 8002460154

## कोषाध्यक्ष

डॉ० जितेन्द्र प्रसाद  
मो० 9431033631

## वित्त सचिव

डॉ० प्रमोदानंद लाल दास  
मो० 9431472705

## अंकेक्षक

डॉ० विजय प्रसाद मंडल  
मो० 9430947979

## तकनीकी सचिव

## डॉ० सीमु

मो० 9471642606

## प्रचार सचिव

डॉ० अंशु कुमार  
मो० 9572165500

## क्षेत्रीय सचिव

डॉ० सत्य नारायण यादव  
मो० 9204908025

डॉ० संजीत कुमार  
मो० 7070521479

डॉ० पंकज कुमार  
मो० 8178451672

डॉ० करुणा भारती  
मो० 9905277744

डॉ० साकेत कुमार  
मो० 9471404196

डॉ० राजशेखर  
मो० 7979085551

डॉ० निरंजन कुमार  
मो० 9162394546

डॉ० उपेंद्र कुमार चौधरी  
मो० 7091974830

सेवा में,

अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी,  
सहरसा, बिहार।


विषय :- डा० साकेत कुमार, भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी, बनगाँव, सहरसा को नियमानुकूल आठ प्रतिशत (8%) की दर से मकान किराय भत्ता का भुगतान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक डा० साकेत कुमार, भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में कहना है कि प्रथम वर्गीय पशुचिकित्सालय बनगाँव (सहरसा) सदर प्रखंड – कहरा (सहरसा) के बरियाही गौशाला भवन में संचालित है, जिसकी दूरी सहरसा नगर परिषद व नगर पालिका सीमा क्षेत्र से 04.2 कि०मी० है। डा० साकेत द्वारा दूरभाष पर यह भी बताया गया है कि यहाँ पदास्थापित पूर्व के पशुचिकित्सकों को सहरसा शहरी क्षेत्र के समतुल्य मकान किराय भत्ता का भुगतान किया गया है जिसकी सम्पुष्टि अपने कार्यालय अभिलेख से भी किया जा सकता है। साथ ही पशुचिकित्सालय के समीप स्वास्थ्य विभागा के कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मियों को भी वर्तमान में आठ प्रतिशत (8%) की दर से मकान किराय भत्ता का भुगतान किया जा रहा है, जिसका साक्ष्य डा० साकेत द्वारा आपके कार्यालय को भी उपलब्ध कराया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में महोदय से सादर अनुरोध है कि डा० साकेत को भी नियमानुकूल आठ प्रतिशत (8%) की दर से मकान किराय भत्ता का भुगतान करने की महत्ती कृप की जाय।

विश्वासभाजन

  
(डा० दिलीप कुमार)

महासचिव